उ0प्र0 लोक सेवा में दिव्यांगजन के लिये आरक्षण हेतु राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व परिषद के पदों के चिन्हांकन के संबंध में प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की दिनांक 17.09.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

<u>उपस्थिति</u>- बैठक में उपस्थित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति संलग्न है।

2- बैठक में प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 लोक सेवाओं में दिव्यांगजन के लिये आरक्षण हेतु समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों के पुनर्चिन्हांकन के संबंध में शासनादेश- 3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30.07.2021 एवं शासनादेश संख्या-आई/246279/2022/65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022 निर्गत किया गया। उक्त के साथ ही प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 एवं 34 में उल्लिखित प्राविधानों के साथ ही यह भी अवगत कराया कि चिन्हित किये गये पदों का तीन वर्ष से अनधिक अन्तराल पर आवधिक पुनर्विलोकन कराये जाने का प्रावधान है।

3- धारा 33(ii) में वर्णित प्राविधान के दृष्टिगत दिव्यांगजन के लिए समूह "क" "ख" "ग" एव "घ" श्रेणी के पदों के चिन्हांकन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-101/65-3-2019-78/99टी0सी0, दिनॉक 29 मार्च, 2019 द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

4- बैठक में उपस्थित श्री अनिल कुमार, विशेष सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 न्यायालय, राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 15.02.2024 द्वारा परिवाद संख्या-211/2023 सुश्री रोशनी पुत्री श्री राम भरोसे, ग्राम व पोस्ट-असोहा, जनपद-उन्नाव में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 08.02.2024 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

> "(1) प्रतिवादी पक्ष संख्या-01 व 02 द्वारा राजस्व परिषद के अन्तर्गत राजस्व लेखपाल अथवा अन्य पदो को दिव्यांगजन हेतु पुनर्चिन्हाकित कराये जाने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पुन: प्रस्ताव प्रेषित करते हुए पदों के पुनर्चिन्हांकन के विषय में 01 माह के अंदर कार्यवाही सम्पन्न करें व कृत कार्यवाही विषयक आख्या से न्यायालय को भी अवगत कराएँ।
>
> (2) प्रतिवादी पक्ष संख्या-03 द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत दिव्यांगजन हेतु आरक्षित राजस्व लेखपाल के कुल 309 पद के सापेक्ष प्रमस्तिष्कीय अंगघात (Cerebral Palsy), उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड अटैक पीडित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता हेतु कुल 122 पद एवं बहु

दिव्यांगता श्रेणी हेतु कुल 85 पदों को पद पुनर्चिन्हांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आरक्षित किया जाए।

(3) प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आदेश की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जाए कि राजस्व परिषद, उ0प्र0 से प्राप्त पद पुनर्चिन्हांकन के प्रस्ताव पर 01 माह के अंदर कार्यवाही करते/कराते हुए तद्विषयक आख्या मं मा0 न्यायालय को अवगत कराए।"

तदक्रम में प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-689(1)/एक-9/2024, दिनांक 04.09.2024 द्वारा राजस्व लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक पद हेतु दिव्यांगता की ओ0ए0, ओ0एल0 एवं डी0डब्ल्यू0 श्रेणियों को भी सम्मिलित किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5- बैठक में उपस्थित श्री अनिल कुमार यादव, अपर आयुक्त, राजस्व परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत लेखपाल का पद सीधी भर्ती का है, जबकि राजस्व निरीक्षक का पद पदोन्नति का पद है। अवगत कराना है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग -3 के शासनादेश दिनॉक 30.07.2021 द्वारा राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व परिषद, उ0प्र0 हेतु लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के पदों का निम्नवत् चिन्हांकन किया गया है:-

क्रमांक	विभाग का नाम	समूह	पदनाम	श्रेणी/उपश्रेणी
1	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद, उ0प्र0)	ग	लेखपाल	एच0एच0, एल0सी0, ए0ए0वी0, एम0डी0
			राजस्व निरीक्षक	एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, ए0ए0वी0, एम0डी0

बैठक में श्री अनिल कुमार यादव, अपर आयुक्त, राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि लेखपाल पद के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा राजस्व परिषद के पूर्व चेयरमैन श्री हेमन्त राव के समक्ष अनेक ऐसे प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिसमें लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक पद हेतु दिव्यांगता की श्रेणियों के अन्तर्गत ओ0ए0, ओ0एल0 एवं डी0डब्ल्यू0 पुनर्चिन्हांकित किये जाने का अनुरोध किया गया।

6- राजस्व विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विशेषज्ञ समिति द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के पदों की कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त विशेषज्ञ समिति द्वारा राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर निम्नवत सहमति प्रदान की गयी-

क्रमांक	विभाग का नाम	समूह	पदनाम	श्रेणी/उपश्रेणी
1	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद, उ0प्र0)	ग	लेखपाल	एच0एच0, एल0सी0, ए0ए0वी0, एम0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्ल्यू0

		राजस्व निरीक्षक	एल0बी0, एच0एच0, एल0सी0, ए0ए0वी0, एम0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्ल्यू0

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(भूपेन्द्र एस0 चौधरी)
निदेशक।

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3
संख्या-769 /65-3-2024
लखनऊ: दिनॉक 17 सितम्बर, 2024

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।

(3) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ।

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, दिव्यांजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(5) निजी सचिव, विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) उपसचिव/अनुसचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र एस0 चौधरी)
विशेष सचिव।